राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 60 (10) ग्रावि/ग्रुप–3/लोकपाल अपीलेट अथो/14–15/ e.office.no 56473 जयपुर, दिनांक 22 MAR 2017

विज्ञप्ति

लोकपाल अपीलेट अथोरिटी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनूसची –1 के पैरा 30 के तहत योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर लोकपाल नियुक्त किये गये है। लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरूद्व अपील की सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर तीन सदस्यीय अपीलेट अथोरिटी का गठन किये जाने का प्रावधान है। राज्य स्तरीय अपीलेट अथोरिटी में निम्नांकित तीन सदस्यों की नियुक्ति हेतु पात्र एवं योग्य अभ्यार्थियों से दिनांक 30.04.2017 तक आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/ई–मेल से आमंत्रित किये जाते है :–

(1) सेवानिवृत्त सिविल सर्वेन्ट – एक (2) शिक्षाविद् (अध्यापन) – एक

(3) प्रतिनिधि सिविल सोसायटी संगठन – एक

ईमेल पताः– nrega.raj@gmail.Com

रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट लिफाफे पर लिखे :–

विभागीय पता :– **आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, कमरा नम्बर 8019,उत्तरी पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय जयपुर।**

अपीलेट अथोरिटी सदस्य हेतु आवेदन की शर्ते

1. आवेदनकर्ता प्रतिष्ठित, निष्ठावान, विवाद रहित, अखण्ड सत्यनिष्ठा का व्यक्ति हो। आवेदक किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल या प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं हो। आवेदक को शिक्षा (अध्यापन) के क्षेत्र में या शासकीय सेवा में या सिविल सोसायटी संगठन में कम से कम 30 वर्ष का अनुभव हो। आवेदक की आयु दिनांक 01.10.2017 को 66 वर्ष से कम होनी चाहिए।
2. आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ हो ताकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों मे निरीक्षण व भ्रमण कर सकें।
3. नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष के लिये होगी, जो कार्य मूल्यांकन के आधार पर 1–1 वर्ष के लिये दो बार सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् बढायी जा सकेगी परन्तु 68 वर्ष की अधिआयु पर नहीं बढायी जायेगी।
4. पैनल राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुशंषित किया जावेगा तथा नियुक्त व्यक्ति को नियमानुसार मानदेय देय होगा।
5. महात्मा गांधी नरेगा में लोकपाल के रूप में एक वर्ष पूर्ण करने वाले आवेदको को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
6. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी के लिये विभागीय वेबसाइट website:- www.rdprd.gov.in / nrega.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।
7. जिन आवेदकों द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 23.02.2015 एवं 21.07.2015 के संदर्भ में आवेदन किया था, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस